

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।  
पत्रांक— 3405 /11-सी-FP/UP/Others/35215//2018, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल 26, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,  
आगरा वृत्त, आगरा।

विषय:- जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट (SH-62) के किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पटरी ग्राम अरनौता से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर डालने हेतु प्रभावित 1.395 हेठो संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Others/35215//2018

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक—4474 / 14-1, दिनांक 20.04.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का आभाव पाया गया।

- 1— प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
- 2— प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
- 3— प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।
- 4— प्रस्ताव के साथ संलग्न वन संरक्षक, आगरा का पत्र एवं संस्तुति का भाग—3 में किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक अंकित है, जबकि प्रभागीय निदेशक, आगरा के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय निदेशक द्वारा अन्य प्रमाण पत्र की पेज सं0— 13, 27, 28, 31, 39, 41, 42, 43, 44 एवं 53 पर गी किमी0 44.700 चैनेज से 91.200 तक अंकित है। अतः रिथित रपष्ट करते हुए राही चैनेज संख्या अंकित कर प्रस्ताव के साथ संशोधित वचनबद्धता/प्रमाण संलग्न कर ऑनलाईन भाग—2 में अपलोड करें।
- 5— प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव संलग्न हैं। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र/वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर एक प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव सहित संलग्न करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 01 प्रति तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रति इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वनसंरक्षक/नोडलअधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या—3405 /11-सी- FP/UP/Others/35215//2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— प्रभागीय निदेशक, साठवा0 प्रभाग, आगरा।
- 2— डिवीजनल इंजीनियर, भारत संचार निगम, लिमिटेड, टैक्स भवन, आगरा।

(अनुपम गुप्ता)  
मुख्य वनसंरक्षक/नोडलअधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।